न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : दावा/106/205

1. भौरीलाल पुत्र स्व0 श्री महादेव
2. रामधन पुत्र स्व0 श्री कल्याण सहाय
3. रेवडमल पुत्र स्व0 श्री कल्याण सहाय
4. महेश पुत्र स्व0 श्री कल्याण सहाय
5. कृष्ण पुत्र स्व0 श्री कल्याण सहाय
6. छग्ना देवी पत्नि स्व श्री कल्याण सहाय
7. बद्री नारायण पुत्र स्व0 श्री महादेव
8. शंकरलाल पुत्र स्व0 श्री महादेव
9. रामकिशन पुत्र श्री महादेव
10. नारायणी देवी पत्नी स्व0 श्री महोदव

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम खोरी रोपडा पटवार हल्का लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर

– वादी–

बनाम

1. जगदीश पुत्र स्व श्री रघुनाथ
2. गिर्राज पुत्र श्री रघुनाथ

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम खोरी रोपडा पटवार हल्का लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर

–प्रतिवादीगण–

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 188 राज्स्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय – दिनांक 09.09.2022

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादीगण की आराजी कृषि भूमि खसरा न0 128 रकबा 0.23 है0, खसरा न0 155 रकबा 0.13 है0, खसरा न0 160 रकबा 0.16 है0, खसरा न0 162 रकबा 0.11 है0, खसरा न0 181 रकबा 0.19 है0, खसरा न0 182 रकबा 0.13 है0, खसरा न0 184 रकबा 0.12 है0, खसरा न0 188 रकबा 0.31 है0, खसरा न0 223 रकबा 0.14 है0, खसरा न0 224 रकबा 0.20 है0, खसरा न0 228 रकबा 0.16 है0, खसरा न0 229 रकबा 0.08 है0, खसरा न0 400 रकबा 0.29 है0, खसरा न0 506 रकबा 0.21 है0 कुल किता 14 कुल रक[illegible] है0 वाके ग्राम खोरी रोपडा पटवार हल्का लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण उक्त आराजीयात पर अर्से दराज से काबिज होकर कृषि काश्त करते आ रहे है [illegible] आराजी भूमि की [illegible] के लिए मिटटी की डोल लगा रखी है [illegible] जानवरो से अपनी फसल [illegible] रक्षा की जा सके, तथा मौके पर अपनी आराजीयात में गेंहु की फसल लगा रखी है। प्रतिवादगण पडोसी काश्तकार है तथा आये दिन वादीगण से झगड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:32:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

फसाद करते रहते है। प्रतिवादीगण वादीगण के खसरा न0 228 रकबा 0.16 है0, खसरा न0 229 रकबा 0.8 है0 भूमि के उत्तरी साईड में निर्माण कर उस पर कब्जा करना चाहते है। इसके लिए मौके पर निर्माण सामग्री ईंट पत्थर बजरी इत्यादी डाल रखी है। दिनांक 8/12/15 को प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर आये और वादीगण की भूमि के उत्तरी ओर अर्सेदराज से बनी कच्ची डोली और उस पर उगें हुये कुचों को उखाडकर वादीगण की भूमि में नींव खोदना शुरू कर दिया, वादिगण ने जब प्रतिवादीगण को मना किया तो प्रतिवादीगण व उसके साथ आये लोग वादीगण के साथ गाली गलौच व मारपीट करने पर उतारू हो गये। उस समय आस पडौस के कुछ लोग मौके पर आ जाने से वो लोग उस समय तो चले गये परन्तु जाते जाते धमकी दी कि भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य करके रहेगे। इस कारण यह वादीगण को वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ। वादीगण एक गरीब व्यक्ति है तथा मेहनत मजदुरी व कृषि काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते है, अगर प्रतिवादीगण अपने धन बल व भुज बल के आधार पर वादीगण की भूमि पर कब्जा करने पर सफल हो जाते है तो वादीगण को अपने हक हकुको की भूमि से महरूम होना पडेगा तथा दर दर की ठोकरे खाने के लिए मजबुर होना पडेगा। वादीगण, प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकार है कि वादीगण की कृषि भूमि खसरा न0 228 रकबा 0.16 है0, खसरा न0 229 रकबा 0.8 है0 के उत्तरी भाग पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार से कब्जा कर निमार्ण कार्य कर नही करे ऐसा स्वयं करे न ही अपने अजेन्ट, सर्वेन्ट, ठेकेदार इत्यादी से करवाये तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे। वाद कारण दिनांक 8/12/15 को जब शुरू हुआ जब प्रतिवादीगण, वादीगण के खसरा न0 228 रकबा 0.16 है0, खसरा न0 229 रकबा 0.8 है0 भूमि के उत्तरी भाग पर कब्जा करने की नियत से नीव खोदकर निमार्ण कार्य करना चाहा से शुरू होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद पत्र मय शपथ पत्र प्र... निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार ... डिक्री फरमाया जावे की –प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द ... जावे कि वादीगण के खसरा न0 228 रकबा 0.16 है0, खसरा न0 229 रकबा 0.8 है0 वाके ग्राम खोरी रोपडा पटवार हल्का लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर के उत्तरी भाग पर किसी प्रकार से कोई कब्जा नहीं करे तथा न ही उस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न स्वयं करे न ही अजेन्ट सर्वेन्ट ठेकेदार इत्यादी से करवाये तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करे।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ जमाबंदी संवत 2071 से 2074 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति पेश की जो संलग्न पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वकील वादी को साक्ष्यवादी हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी साक्ष्यवादी पेश नही करने पर साक्ष्यवादी का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस वादपत्र नियत की गई। वादपत्र पर बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद में अंकन की प्रतिवादीगण वादीगण के खसरा न0 228 रकबा 0.16 है0, खसरा न0 229 रकबा 0.8 है0 भूमि के उत्तरी साईड में निर्माण कर उस पर कब्जा करना चाहते है। इसके लिए मौके पर निर्माण सामग्री ईंट पत्थर बजरी इत्यादी डाल रखी है। दिनांक 8/12/15 को प्रतिवादीगण वादीगण

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:32:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

की भूमि पर आये और वादीगण की भूमि के उत्तरी ओर अर्सेदराज से बनी कच्ची डोली और उस पर उगें हुये कुचों को उखाडकर वादीगण की भूमि में नींव खोदना शुरू कर दिया, वादिगण ने जब प्रतिवादीगण को मना किया तो प्रतिवादीगण व उसके साथ आये लोग वादीगण के साथ गाली गलौच व मारपीट करने पर उतारू हो गये। उस समय आस पडौस के कुछ लोग मौके पर आ जाने से वो लोग उस समय तो चले गये परन्तु जाते जाते धमकी दी कि भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य करके रहेगे। इस कारण यह वादीगण को वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2071–2074 वाकै ग्राम खोरी रोपाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के अवलोकन से यह तो जाहिर है कि खसरा नंबर 228, 229 के वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार–काश्तकार हैं। लेकिन वादीगण ने अपने वादपत्र में कही भी प्रतिवादीगण के खसरा नंबरान् का उल्लेख नही किया है कि प्रतिवादीगण की कौनसी आराजीयात वादीगण के खसरा नंबरान् से मिलती है। ना ही वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजात या साक्ष्य ही प्रस्तुत की है जिससे प्रतीत हो की प्रतिवादीगण वादीगण के खसरा नंबरान् में दखलअंदाजी, उपयोग व उपभोग में बाधा कारित कर रहे है। ऐसे में वादीगण अपने वादपत्र को साबित करने में असफल रहें है।

अतः वादीगण का वाद दस्तावेजात व साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:32:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व इजलास
श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

भौरीलाल बनाम जगदीश वगै.

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा/106/2015

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू ....X.......... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद दस्तावेजात व साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ......—...... मुबलिग ......—...... बाबत् ......—......
खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ......—...... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ......—...... का अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.09.2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....
ओहदा .... सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान		00			

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:32:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner